

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आवेद

श्री राजेन्द्रसिंह व्याख्याता इतिहास जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विधाशाला—जोधपुर जन्म तिथि— 21.12.1962 का निघन दिनांक— 30.09.2016 को हो चुका है। अतः श्री राजेन्द्रसिंह व्याख्याता की दिनांक 30.09.16 से सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक—

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल. स्वर्णकार)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/16-17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक:- 18-11-2016

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, जोधपुर
- (2) सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्राक्यायी निधि विभाग, जोधपुर
- (3) उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर
- (4) संबंधित संस्था प्रधन को अतिरिक्त प्रति के साथ पारंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावें।
- (5) अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- (6) निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-8

(नियम 78 के तहत राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

श्री रामखिलाडी सीना व्याख्याता वाणिज्य रा0 आदर्श उमावि और(पंचपहाड) झालावाड जन्म तिथि-10.07.1988 का विधन दिनांक- 05.10.2016 को हो चुका है। अतः श्री रामखिलाडी सीना व्या. वाणिज्य की दिनांक 05.10.16 से सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-18 के अधीन कोई विभागीय जांच/विचारधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचारधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचारधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एस. स्वर्णकार)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक-18-11-2016

क्रमांक - सिविश-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/16-17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संबंधित संयुक्त निदेशक प्रेषण विभाग
- (2) सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्राण्यारी निधि विभाग, झालावाड
- (3) उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झालावाड
- (5) संबंधित संस्था प्रधान को अतिरिक्त प्रति के साथ प्रांबन्ध किया जाता है कि संबंधित कर्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करण पावती सिजवावे।
- (6) अनुभाग अधिकारी यरिस्टा/एसीआर/एबी/दि.जाच/सीजीएसी प्रभाग/कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- (7) निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर